संख्या– 382 /60–1–22–1/13(02)/21

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊःःदिनांक 01 ~~मई~~ जून, 2022

**विषयः–** ''उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)'' के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र सं0–122/निदे0म0क0/प्रोबे0/बा0से0यो0–ब0अ0 (सा0) /2022–23, दिनांक 21.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के कियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल शासनादेश संख्या–1067/60–1–21–1/13(02)/21, दिनांक 06.08.2021 के संगत अंशों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

(i) **शासनादेश का बिन्दु संख्या–1 (क) (ii):–**

''18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता–पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है, उनको कक्षा–12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त **राजकीय/मान्यता प्राप्त** महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं NEET, JEE, CLAT, जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।''

(ii) **शासनादेश का बिन्दु संख्या–11:–**

''लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि वर्ष में **04 तिमाही** किस्तों में प्रेषित की जायेगी।''

3– शासनादेश संख्या–1067/60–1–21–1/13(02)/21, दिनांक 06.08.2021 का बिन्दु संख्या–1(क) II एवं बिन्दु संख्या–11 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

....2

उपरोक्तानुसार योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सी. मेश्राम),
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/60–1–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
5– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी।
7– गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव